रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1999/आश्विन 28, 1921
No. 86] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1999/ASVINA 28, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1999

फा. सं. टीएएमपी/55/99-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार न्यू मंगलोर पत्तन न्यास में जलयानों को जल आपूर्ति के लिए प्रभारों को संशोधित करता है।

मामला सं0 टीएएमपी/55/99-टीपीटी

न्यू मंगलोर पत्तन न्यास - - - आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 1999 के 30वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला एन.एम.पी.टी. में जलयानों को जल आपूर्ति के लिए जल प्रभारों के संशोधन के संबंध में न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एन.एम.पी.टी.) से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है। यह प्रस्ताव तटीय जलयानों के लिए 100/-रूपए प्रति कि.ली. (टन) और विदेश जाने वाले जलयानों के लिए 3.5 अमरीकी डालर प्रति कि.ली. (टन) की दर का अनुमोदन करने के लिए है। यह उल्लेख किया गया है कि नगर निगम ने जल आपूर्ति प्रभारों को 1.86/-रूपए प्रति कि.ली. से बढ़ा कर 12/-रूपए प्रति कि.ली. कर दिया है, जोकि 645% वृद्धि से भी अधिक है। इसके विपरीत पत्तन ने तटीय जलयानों के लिए 163% और विदेश जाने वाले जलयानों के लिए 147% वृद्धि वृद्धि का सुझाव दिया है। एन.एम.पी.टी. ने जलयानों के लिए आपूर्ति प्रभारों में पिछला संशोधन 16 जुलाई,92 को किया गया था। वर्तमान दरें और प्रस्तावित दरें निम्नलिखित है :-

3111 GI/99

	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
तटीय जलयान के लिए जल प्रभार	38/-रूपए प्रति कि.ली. (टन)	100/-रूपए प्रति कि.ली.(टन)
विदेशी जलयानों के लिए जल प्रभार	2.38 अमरीकी डालर प्रति कि.ली.(टन)	3.50 अमरीकी डालर प्रति कि.ली.(टन)

2. यह प्रस्ताव सामान्य विचार विमर्श प्रक्रिया के शर्ताधीन था । इस मामले में आई.एन.एस.ए., एस.सी.आई., एम.आर.पी.एल., कनारा सी.सी.आई, के.आई.ओ.सी.एल. और लारसन एवं टुब्रो लि. से टिप्पणियां मांगी गई थीं । निम्नलिखित पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे संक्षिप्त रूप में दिया गया है :-

के.आई.ओ.सी.एल.
इस मामले में उन्होंने कोई विशेष टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की है ।

कनारा सी.सी.आई.

(i) जलयानों द्वारा खपत किए जाने वाले जल का प्रतिशत केवल 8% है । इसलिए, प्रस्तावित वृद्धि स्वीकार्य नहीं है ।

(ii) कई मौकों पर जल नालियों में कोई दबाव नहीं होता है और जलयान पर्याप्त जल-आपूर्ति के बिना प्रस्थान कर जाते हैं ।

(iii) उन्होंने सुझाव दिया है कि जल की लागत तटीय जलयानों के लिए 75/-रूपए प्रति कि.ली. (टन) और विदेश जाने वाले जलयानों के लिए 3.00 अमरीकी डालर प्रति कि.ली. (टन) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आई.एन.एस.ए.

(i) जलयानों के लिए जल आपूर्ति को एक सुविधा माना जाना चाहिए ।

(ii) पत्तन को विस्तृत लागत और प्रभारों को न लाभ, न हानि के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए।

मंगलोर स्टीमर एजेन्ट्स एसोसिएशन

(i) जलयानों के लिए जल आपूर्ति की लागत तटीय जलयानों के मामले में 75/-रूपए प्रति 1000 ली. और विदेश जाने वाले जलयानों के मामले में 3.00 अमरीकी डालर प्रति 1000 ली. से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

एस.सी.आई.

(i) एन.एम.पी.टी. में जल आपूर्ति के प्रभार पहले ही बहुत अधिक है और प्रस्तावित वृद्धि काफी ज्यादा है।

(ii) एन.एम.पी.टी. द्वारा किया गया लागत निर्धारण सही नहीं है । नगर निगम ने अपनी दरें 1.86 रूपए से बढ़ाकर 12/-रूपए प्रति टन कर दी है अर्थात 10.14 रूपए प्रति टन वृद्धि

की गई है। इसलिए, उन्होंने उल्लेख किया है कि पत्तन द्वारा प्रस्तावित वृद्धि बहुत अधिक है ।

(iii) जल प्रभारों में कोई भी वृद्धि नगर निगम द्वारा एन.एम.पी.टी. पर लागू की जाने वाली वास्तविक वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए अर्थात यह 10.14 रूपए प्रति टन अथवा अमरीकी डालर में इसके बराबर होनी चाहिए ।

3. के.आई.ओ.सी.एल., कनारा सी.सी.आई., एस.सी.आई और आई.एन.एस. से प्राप्त टिप्पणियां एन.एम.पी.टी. को भेजी गई थीं । पत्तन ने अपने उत्तर में निम्नलिखित उल्लेख किया है :-

(i) जलयानों को जल आपूर्ति के लिए सुविधा उपलब्ध है । कम दबाव संबंधी आरोप सही नहीं है। जल की आपूर्ति दिन और रात एक ही ओवरहैड टंकी से की जाती है ।

(ii) निवासी नगर-निगम से प्राप्त जल का केवल 18.26% का प्रयोग करते है और इसका बड़ा हिस्सा पत्तन के अपने स्रोतों (खुले कुएं और बोर-वैल) से पूरा किया जाता है ।

(iii) जल आपूर्ति सुविधा का व्यय लागत आधारित माना जाता है और दरें इसको स्वत: वित्तपोषित बनाने के लिए प्रस्तावित है, ताकि व्यय का भार अन्य सेवाओं पर न डालना पड़े ।

(iv) तटीय जलयानों के लिए 150/-रूपए प्रति कि.ली.(टन) और विदेश जाने वाले जलयानों के लिए 5.00 अमेरिकी डालर प्रति कि.ली.(टन) की प्रस्तावित दरों को कम करके क्रमश: तटीय जलयानों के लिए 100/-रूपए प्रति कि.ली.(टन) और विदेश जाने वाले जलयानों के लिए 3.5 अमेरिकी डालर प्रति कि.ली.(टन) कर दिया गया है । जहां तक दरों का संबंध है, पत्तन द्वारा प्रस्तावित दरें तर्कसंगत है ।

(v) न लाभ, न हानि के आधार पर लागत आकलन 168.88 रूपए प्रति कि.ली.(टन) बैठता है ।

4. यह निर्णय किया गया था कि इस मामले में संयुक्त सुनवाई आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. उपर्युक्त के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित बिन्दु सामने आते है :-

(i) एन.एम.पी.टी. में जलयानों को जल आपूर्ति के लिए जल प्रभारों के संशोधन का मामला बनता है, क्योंकि पिछला संशोधन दिनांक 16.7.92 को किया गया था ।

(ii) यह वृद्धि नगर निगम द्वारा जल प्रभारों मे 645% से अधिक वृद्धि किए जाने के कारण आवश्यक हो गई है । इसके विपरीत, तटीय जलयानों के लिए 163% और विदेशी जलयानों के लिए 147% वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है ।

(iii) इस प्रस्ताव में शामिल वित्तीय निहितार्थ नाममात्र है ।

6. प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि मंगलोर नगरपालिका प्राधिकरण (एम.एम.ए.) ने जल की दरों में 600% से अधिक की वृद्धि की थी, जबकि एन.एम.पी.टी. द्वारा प्रस्तावित बढ़ोत्तरी तटीय जलयानों के लिए केवल 163% और विदेश जाने वाले जलयानों के लिए 147% बैठती है । सामान्यत:, इस प्रस्ताव के प्रति कोई भी आपत्ति बिल्कुल नही होनी चाहिए । स्पष्टत: कुछ तत्व इस कारण असंतुष्ट थे कि एन. एम.पी.टी. के कर्मचारियों को जल की आपूर्ति बहुत कम दर पर की जा रही थी । प्राधिकरण ने इसे एक अनावश्यक आपत्ति पाया है। इस मामले में एकत्रित समूची सूचना पर समग्रत: ध्यान देने के आधार पर जलयानों को जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के बारे में एन.एम.पी.टी. के प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन किया जाता है :-

तटीय जलयानों के लिए जल प्रभार	:	100.00/-रूपए/कि.ली./टन
विदेश जाने वाले जलयानों के लिए जल प्रभार	:	3.50 अमेरिकी डालर/कि.ली./टन

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1999

F. No. TAMP/55/99-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby revises the charges for water supply to ships at the New Mangalore Port Trust as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/55/99 - NMPT

The New Mangalore Port Trust .... Applicant

ORDER

(Passed on this 30th day of September 1999)

This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT), about revision of water charges for water supply to the ships at the NMPT. The proposal is to approve the rate of Rs.100/KL(Tonne) for coastal ships and US $3.5 / KL(Tonne) for foreign ships. It has been stated that the City Corporation has increased the water supply charges from Rs.1.86 / KL to Rs. 12 / KL, which is more than 645% increase. As against this, the port has suggested an increase of 163% for coastal vessels and 147% for foreign ships. The last revision of water supply charges to ships in NMPT took place on 16 July 92. The existing and the proposed rates are as under:

	Existing rate	Proposed rate
Water charges for Coastal ship	Rs.38/-/K.L (Tonne)	Rs.100/-/K.L.(Tonne)
Water charges for Overseas ships	US$ 2.38/K.L.(Tonne)	US$3.50/K.L.(Tonne)

2. The proposal was subjected to the usual consultative process. In this Case, comments were called for from the INSA, SCI, MRPL, Kanara CCI, KIOCL and Larsen & Toubro Limited. Comments received from the following port users / representative bodies of port users are summarised below:

KIOCL

They do not have any specific comments in the matter.

Kanara CCI

(i). The percentage of water consumption by ships is only 8%. As such, the proposed increase is not acceptable.

(ii). At times, there is no pressure in the water mains and vessels sail out without adequate water supply.

(iii). They have suggested that the cost of water should not be more than Rs.75/- / KL(Tonne) for coastal vessels and US $ 3.00/KL (Tonne) for foreign going vessels.

INSA

(i). Water supply to ships should be treated as a facility.

(ii). Port should disclose detailed costing and charge on no profit no loss basis.

Mangalore Steamer Agent's Association

(i). The cost of water supply to the ship should not be more than Rs.75/- per 1000 liters for Coastal Ships and US$ 3.00 per 1000 liters for foreign vessels.

SCI

(i). The charges for water supply at the NMPT are already very high and the proposed increase is substantial.

(ii). The costing done by the NMPT is not correct. The city corporation has increased their rates from Rs.1.86 to Rs.12/- per Tonne i.e. an increase of Rs. 10.14 per tonne. They have, therefore, stated that the proposed increase by the port is too steep.

(iii). Any increase in water charges should be commensurate with the actual increase levied by City Corporation to NMPT, that is, Rs.10.14 per tonne or its equivalent in US$.

3. The comments received from the KIOCL, Kanara CCI, SCI and INSA were sent to the NMPT. In their reply, the Port has stated as under:

(i). The facility exits for supply of water to the vessels. The allegation, about low pressure is not correct. As the water is supplied from the same overhead tanks during day time and night.

(ii). The residents are using only 18.26% of the water drawn from the City Corporation and major portion of this is met from ports own sources (open wells and bore wells).

(iii). The expenses of the water supply facility is treated as a cost centre and the rates are proposed to make it self financing, so that the burden need not be loaded on other services.

(iv). The proposed rates of Rs.150/- per KL (Tonne) for coastal vessels and US $ 5.00 per KL (Tonne) for foreign vessel has since been reduced to Rs.100/- per KL (Tonne) for coastal vessels and US $ 3.5 per KL (Tonne) for foreign vessels, respectively. As such the rates, the rates proposed by the Port are reasonable.

(v). The cost calculation on the basis of no profit no loss basis comes to Rs.168.88 / KL (Tonne).

4. It was decided that there is no need for a joint hearing in this case.

5. On the basis of the analysis of the above, the following points emerge:

(i). There is a case of revision of water charges for water supply to the ships at the NMPT as the last revision took place on 16.7.92.

(ii). The increase has been necessitated because of an increase in water charges by the City Corporation by more than 645%. As against this, the proposal is for an increase of 163% for coastal and 147% for foreign ships.

(iii). The financial implications involved in the proposal are nominal

6. The Authority noted that water rates had been increased by the Mangalore Municipal Authority (MMA) by over 600% whereas the enhancement proposed by the NMPT worked out only to 163% for coastal vessels and 147% for foreign going ships. In the normal course, there should have been no objection to this proposal at all. Apparently, some elements were disgruntled on the ground that employees of the NMPT were being supplied with water at a much lower rate. The Authority found this to be a flippant objection. Based on a collective application of mind to the totality of information collected in the case, the proposal of the NMPT about charges for water supply to ships is approved as under:

Water charges for coastal ships	:	Rs.100.00/K.L./Tonne
Water charges of foreign going ships	:	US$ 3.50/ K.L/Tonne

S SATHYAM, Chairman

[Advt /III/IV/Exty /143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054